भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1516
दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली में जेजेएम का कार्यान्वयन

1516. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली में नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों के प्रतिशत सहित जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जेजेएम के तहत लातूर जिले सहित महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली को कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है; और
(ग) महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली में उक्त योजना के कार्यान्वयन में काम की खराब गुणवत्ता और देरी जैसे मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के साथ 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

(एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल लागू कर रही है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को राज्य में जेजेएम के शुभारंभ के समय, केवल 48.44 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 81.16 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.02.2025 तक, राज्य के 146.81 लाख ग्रामीण परिवारों में से 129.59 लाख (88.28%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

दादरा और नगर हवेली तथा दमण व दीव (डीएनएच और डीडी) के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सूचित किए गए अनुसार, सभी 85,156 ग्रामीण परिवारों (100%) को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ख) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए आबंटित, जारी और महाराष्ट्र द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

		केंद्रीय हिस्सा					
क्र.सं.	**वर्ष**	**अथ शेष**	**आवंटित निधि**	**आहरित निधि**	**उपलब्ध निधि**	**व्यय**	**राज्य व्यय**
1	2019-20	248.12	847.97	345.28	593.4	308.04	431.79
2	2020-21	285.35	1,828.92	457.23	742.58	473.59	324.56
3	2021-22	268.99	7,064.41	1,666.64	1935.63	377.98	477.98
4	2022-23	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.53	2,972.21
5	2023-24	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,371.34
6	2024-25*	1,599.47	5,352.93	1,605.88	3,205.35	2,014.42	2,255.88
कुल			**44,391.36**	**15,434.91**		**14,492.09**	**14,833.76**

*दिनांक 10.02.2025 तक

चूंकि पेयजल राज्य का विषय है, इसलिए जिला-स्तरीय निधि आबंटन सहित ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/योजनाओं के ब्यौरे भारत सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

दादरा तथा नगर हवेली और दमन व दीव के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने जल जीवन मिशन के तहत कोई निधि नहीं ली है।

(ग) पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, *अन्य बातों के साथ-साथ* कार्य की खराब गुणवत्ता और विलंब सहित शिकायतों/सवालों आदि के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कार्रवाई और निपटान किया जाता है।

महाराष्ट्र और दादरा तथा नगर हवेली और दमन व दीव सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना और कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा निगरानी करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, आयोजना और कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र दौरे आदि शामिल हैं। पारदर्शिता लाने और प्रभावी निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति प्रदान करता है।

******